न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

पीठासीन अधिकारी– रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
08 / 2013 प्रा.पत्र / 2013	21.06.2013	21.03.2025

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी टोंक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक राज0।

.....प्रार्थी

बनाम

1–श्री दिनेश कुमार जैन पुत्र श्री प्रकाश चन्द जैन निवासी नवीन मण्डी मालपुरा जिला टोंक प्रोपराईटर मैसर्स अरिहन्त मार्केटिंग एजेन्सी नवीन मण्डी मालपुरा जिला टोंक।
2–मैसर्स अरिहन्त मार्केटिंग एजेन्सी नवीन मण्डी मालपुरा जिला टोंक।
3–श्री कौस्तव कुमार घोस पुत्र श्री हिमांग्शु कुमार घोस निवासी न्यू सी.जी.रो. सोना कोस, चांदखेडा, अहमदाबाद–382424 गुजरात नोमीनी मैसर्स गाडफरे फिलिप्स इण्डिया लिमिटेड (1) वी.के.के. मेनन रोड(सहारा रोड) चकला अन्देरी इस्ट मुम्बई 400099।
4–मैसर्स गाडफरे फिलिप्स इण्डिया लिमिटेड (1) वी.के.के. मेनन रोड(सहारा रोड)चकला अन्देरी इस्ट मुम्बई 400099।
5–मैसर्स गाडफरे फिलिप्स इण्डिया लिमिटेड सी एण्ड एफ रामनिवास श्याम सुन्दर रोड नं0 14 बालाजी धर्मकांटा के सामने जडाला पाउर हाउस के पास विश्वकर्मा इण्डस्ट्रीज एरिया जयपुर 3020132. 2.रामानिवास श्याम सुन्दर सी एण्ड एफ एजेन्ट न्यू मण्डावा हाउस संसार चन्द्र रोड जयपुर 302001

..... अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) एवं दण्डनीय धारा 52

उपस्थित–
1–पेरोकार सरकार।
2–अभिभाषक अप्रार्थी सं0 1व 2 श्री शैलेन्द्र गर्ग व
व अभिभाषक अप्रार्थी सं0 3 ता 5 श्री हिम्मत सिंह उप.।

:–**निर्णय**–: **दिनांक** 21/3/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 21.09.2012 को समय सायं 02:30 पी.एम. पर नवीन मण्डी मालपुरा जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर विक्रेता श्री दिनेश कुमार जैन पुत्र श्री प्रकाश चन्द जैन अपने प्रतिष्ठान मैसर्स अरिहन्त मार्केटिंग एजेन्सी नवीन मण्डी मालपुरा जिला टोंक पर खाद्य पदार्थ का विक्रय करते हुए उपस्थित मिला, श्री दिनेश कुमार जैन पुत्र श्री प्रकाश चन्द जैनको अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री दिनेश कुमार जैन पुत्र श्री प्रकाश चन्द जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक होना बताया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा, निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में खाद्य पदार्थ के साथ कागज के 4 कार्टूनों में लगभग 120 पैकेट **पान मसाला (पान विलास)** रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री दिनेश कुमार जैन पुत्र श्री प्रकाश चन्द जैन को फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेताश्री दिनेश कुमार जैन पुत्र श्री प्रकाश चन्द जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर कर तस्दीक किया। एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को यह बताकर कि दुकान में लगभग 120 मूल पैक पैक्ड अवस्था में **पान मसाला(पान विलास)** में से ज्यों का त्यों पैक्ड अवस्था में 4 मूल पैक वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **पान मसाला (पान विलास)** 4 मूल पैक को ज्यों का त्यों प्लास्टिक के डिब्बों में पैकेट रखकर, लेबल तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं कमांक आई–382 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–382नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये।चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ तैयार कीऔर प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक एवं जन विश्लेषक, अजमेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री दिनेश कुमार जैन पुत्र श्री प्रकाश चन्द जैन ने मौके पर मैसर्स गाडफरे फिलिप्स इण्डिया लिमिटेड सी एण्ड एफ रामनिवास श्याम सुन्दर नं0 14 बालाजी धर्म कांटा के सामने जडाला पाउर हाउस के पास विश्वकर्मा इण्डस्ट्रीज एरिया जयपुर का बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफएसएसए/12/3720 दिनांक 31.10.2012 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक एवं जन विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिर्पोट संख्या एलएस/688/एफएसएसए/2012/688 दिनांक 11.10.2012 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **पान मसाला (पान विलास)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम के अनुसार **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से उनके अभिभाषक श्री शैलेन्द्र गर्ग एवं श्री हिम्मत सिंह उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है तथा यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। मात्र इसके लेबल पर कुछ आवश्यक जानकारी मानक प्रारूप में अंकित नहीं होने से उक्त नमूना मिथ्याछाप स्तर का होना पाया गया है। अभिभाषक ने कथन किया कि लेबल पर फ्लेवर का कॉमन नाम अंकित नहीं होने से उत्पाद की गुणवत्ता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीग जिस **पान मसाला(पान विलास)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)**स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 52 में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अभिभाषक अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **पान मसाला(पान विलास)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 25,000/– (अक्षरे पच्चीस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21/3/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(रामरतन सांकरिया)
न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट–
टोंक